

No. 45078*

**South Africa
and
India**

Memorandum of understanding between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the Republic of India on co-operation in the field of governance, administration and other related areas. Pretoria, 12 June 2006

Entry into force: *12 June 2006 by signature, in accordance with article 13*

Authentic texts: *English and Hindi*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *South Africa, 18 June 2008*

**Afrique du Sud
et
Inde**

Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République sud-africaine et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la coopération dans les domaines de la gouvernance, de l'administration et d'autres domaines connexes. Pretoria, 12 juin 2006

Entrée en vigueur : *12 juin 2006 par signature, conformément à l'article 13*

Textes authentiques : *anglais et hindi*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Afrique du Sud, 18 juin 2008*

* The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. Their final UNTS version is not yet available.

Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Leur version finale RTNU n'est pas encore disponible.

[HINDI TEXT – TEXTE HINDI]

प्रस्तावना

दक्षिण अफ्रिका गणराज्य सरकार अपने लोक सेवा एवं प्रशासन मंत्रालय के माध्यम से तथा भारत गणराज्य सरकार अपने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, के माध्यम से जिन्हें इससे आगे इसमें एक " पक्ष " के रूप में एक देश तथा संयुक्त रूप से " पक्षों " के रूप में दोनों देश संदर्भित) ;

दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने की दृष्टि से तैयार किए गए सहयोगात्मक कार्यकलापों के माध्यम से शासन, प्रशासन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने तथा कार्य-कुशलता विकसित करने की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाना चाहते हैं ;

निम्नानुसार सहमत हैं :

अनुच्छेद 1

इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सक्षम प्राधिकारी (इससे आगे " इस समझौता ज्ञापन " के रूप में संदर्भित) -

(क) दक्षिण अफ्रिका गणराज्य सरकार के मामले में, लोक सेवा एवं प्रशासन मंत्रालय तथा

(ख) भारत गणराज्य सरकार के मामले में, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय होंगे।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्ष अपने-अपने देश में प्रवृत्त उपयुक्त आंतरिक विधि के अनुसार शासन, प्रशासन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद 3

शासन, प्रशासन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग किया जाएगा -

- (क) अध्ययन दौरों का आदान-प्रदान किया जाना ;
- (ख) व्याख्यान देने, क्षमता निर्माण करने और संयुक्त अनुसंधान के माध्यम से सापेक्ष अध्ययन आरंभ करने के लिए विशेषज्ञों को एक दूसरे देशों में भेजा जाना ;
- (ग) सामग्री और जानकारी का आदान-प्रदान ;
- (घ) भारत गणराज्य सरकार की संस्थाओं के लोक अधिकारियों को दक्षिण अफ्रिका गणराज्य सरकार की संस्थाओं में स्थानांतरित किया जाना तथा दक्षिण अफ्रिका गणराज्य सरकार की संस्थाओं के लोक अधिकारियों को भारत गणराज्य सरकार की संस्थाओं में स्थानांतरित किया जाना ;
- (ङ .) कार्य-कुशलता हस्तांतरण को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से मेन्टरशिप एवं कार्यक्रमों का आदान-प्रदान किया जाना ;
- (च) भारत गणराज्य सरकार के लोक अधिकारियों को दक्षिण अफ्रिका गणराज्य सरकार द्वारा तथा दक्षिण गणराज्य सरकार के लोक अधिकारियों को भारत गणराज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना अथवा मानव संसाधन विकास ;
- (छ) दोनों देशों में उच्च प्रबंधन हेतु संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ; तथा
- (ज) उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के कार्यक्षेत्र में आने वाले अन्य ऐसे सहयोगात्मक उपाय जिन पर सक्षम प्राधिकारी सहमत हों।

अनुच्छेद 4

- (1) इस समझौता ज्ञापन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पक्ष द्वारा, समन्वयक के रूप में कार्य करने की दृष्टि से किसी एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा जो इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत सहयोग की व्यवस्था और इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) अनुच्छेद 1 में संदर्भित सक्षम प्राधिकारी, इस समझौता ज्ञापन में, उन क्षेत्रों पर सहमत होंगे जो इस समझौता - ज्ञापन के दायरे में आएंगे और जिनके लिए अलग से कार्यदल गठित किया जाएगा।
- (3) सक्षम प्राधिकारी, इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक कार्ययोजना तथा परियोजनागत योजनाओं पर लिखित में सहमत होंगे। दोनों पक्ष, कार्ययोजना तथा परियोजनागत योजनाओं के संबंध में अपने-अपने समन्वयकों के माध्यम से, विशेष कार्य, उत्तरदायित्वों, स्थितियों और वित्तीय तथा अन्य व्यवस्थाओं एवं अन्य संगत मामलों पर सहमत होंगे। दोनों पक्ष प्रत्येक परियोजनागत योजना के संबंध में उसमें परिकल्पित परियोजना में हिस्सा लेने वाले संबद्ध देशों की संस्था या संस्थाएं निर्दिष्ट करेंगे। संबंधित समन्वयक, अपनी - अपनी निर्दिष्ट संस्था या संस्थाओं की प्रतिभागिता का समन्वय करेंगे।
- (4) ई - गवर्नेंस के क्षेत्र में पुनरावृत्ति से बचने के लिए, दोनों देशों के समन्वयक, वर्ष 2004 में कैप टाऊन में सम्पन्न संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकीयों से जुड़े क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य सरकार और दक्षिण अफ्रिका गणराज्य सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 3 में संदर्भित सूचना प्रौद्योगिकीयों और संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में गठित भारत - दक्षिण अफ्रिका कार्यदल के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 5

- (1) दोनों देशों के सक्षम प्राधिकारी, उन लोक अधिकारियों के संबंध में लिखित में सहमत होंगे जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना है या उन्हें एक - दूसरे देश में स्थानांतरित करना है। भारत गणराज्य सरकार के जिन लोक अधिकारियों को, दक्षिण अफ्रिका में, तथा दक्षिण अफ्रिका गणराज्य सरकार के जिन लोक अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान करने या उनके स्थानांतरण के लिए चुना गया है, उन्हें उस देश में प्रशिक्षण स्थल में प्रयुक्त भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।
- (2) अनुच्छेद 4 (1) में संदर्भित संबंधित समन्वयक, यदि आवश्यक हो तो, प्रशिक्षुओं या स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को भाषा संबंधी कौशल प्रदान करने से संबंधित पद्धति से सहमत होंगे।

अनुच्छेद 6

- (1) सक्षम प्राधिकारी, किसी भी पक्ष द्वारा उपर्युक्त समझौता ज्ञापन में निहित अन्तरराष्ट्रीय और स्थानीय यात्रा तथा आवास और अन्य निर्वाह व्यय वहन करने के संबंध में लिखित में सहमत होंगे।
- (2) ग्राही पक्ष द्वारा, संभार व्यवस्था एवं स्थानीय यात्रा से संबंधित सहायता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 4 (1) में संदर्भित, संबंधित समन्वयक, अभीष्ट यात्रा आरंभ करने से पहले इस प्रकार की व्यवस्था और यात्रा के संबंध में लिखित में सहमत होंगे।
- (3) भारत गणराज्य सरकार तथा दक्षिण अफ्रिका गणराज्य सरकार, इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत सामग्री और जानकारी का आदान - प्रदान करने से संबंधित व्यय वहन करने के संबंध में अपने - अपने समन्वयकों के माध्यम से लिखित में सहमत होंगी।